न्यायालय : श्रीमती निहारिका, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नवम् जहानाबाद।

क्रिमिनल मिसलेनियस वाद संख्या–14 / 2026

विकाश कुमार बनाम् सरकार।

12.05.2026 आवेदक **विकाश कुमार** की तरफ से इस आशय का आवेदन देकर निवेदन किया गया है कि आवेदक विकाश कुमार, जहानाबाद महिला थाना कांड संख्या–61 / 2025 में अभियुक्त हैं, जिसकी **अग्रिम जमानत याचिका संख्या–1708 / 2025** में इस न्यायालय द्वारा दिनांक–25.02.2026 को जमानत आवेदन स्वीकृत किया गया था तथा पारित आदेश के आलोक में आवेदक को यह निर्देशित किया गया था कि आदेश पारित होने के तिथि के 15 दिनों के अंदर संबंधित न्यायालय में आत्मसमर्पण कर बंध–पत्र दाखिल करें। परंतु आवेदक उक्त आदेश के पारित होने पश्चात् दिनांक 26.02.2026 से गंभीर रूप से बीमार हो गया, और चिकित्सीय जांच कराने पर उसे दाहिने तरफ हेमिप्लेगिया (Hempilegia) निकला, जिस कारण वह शारीरिक रूप से चलने–फिरने में असमर्थ हो गया और वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। आवेदक ने दिनांक 18.03.2026 को पुनः चिकित्सीय उपचार कराया और लगातार डॉक्टर के सुपरविजन एवं निगरानी में रहा। डॉक्टर का पर्ची उक्त याचिका के साथ संलग्न है। इसी गंभीर बीमारी एवं शारीरिक अक्षमता के कारण आवेदक दिनांक 25.02.2026 को पारित अग्रिम जमानत याचिका के आदेश में निर्देशित 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण नहीं कर सके। आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी बल्कि अपरिहार्य चिकित्सीय इमर्जेन्सी एवं गंभीर स्वास्थ्य के कारण थी। अतः निवेदन है कि इस क्रिमिनल मिसलेनियश आवेदन को स्वीकृत करते हुए दिये गये अग्रिम जमानत याचिका संख्या–1708 / 2025 में अतिरिक्त समय प्रदान करने की कृपा की जाए। आवेदक की ओर से List of document के साथ दिनांक 26.02.2026 का डॉक्टर का पुर्जा दाखिल किया गया है।

उभय पक्षों को सुना। क्रिमिनल मिसलेनियस वाद संख्या–14 / 2026 तथा जहानाबाद महिला थाना कांड संख्या–61 / 2025 के मूल अभिलेख का अवलोकन किया। मूल अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अग्रिम जमानत याचिका संख्या–1708 / 2025 दिनांकित–25.02.2026 में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार आवेदक विकाश कुमार को अग्रिम जमानत की सुविधा इस निर्देश के साथ दिया गया था कि आवेदक आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर अधीनस्थ न्यायालय में आत्मसर्मपण कर बंध–पत्र दाखिल करेगें, परंतु आवेदक अपरिहार्य चिकित्सीय कारणवश निर्धारित अवधि के अंदर विद्वान निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर सके और इस संबंध में इन्होंने दिनांक 26.02.2026 का डॉक्टर धनंजय कुमार का चिकित्सीय पुर्जा एवं डॉ0 धनंजय कुमार द्वारा निर्गत दिनांक 18.03.2026 का चिकित्सीय सर्टिफिकेट दाखिल किया है।

Web Copy, Civil Court

लगातार
12.05.2026

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक विकाश कुमार को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि वे इस आदेश की तिथि से 06 दिनों के भीतर विद्वान निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेगें। इसके अलावे अग्रिम जमानत याचिका सं0–1708/2025 दिनांकित 25.02.2026 में पारित आदेश पूर्ववत् बने रहेगें। आवेदक के द्वारा दाखिल यह क्रिमिनल मिसलेनियश संख्या–14/20226 को एतद् द्वारा निस्तारित किया जाता है। कार्यालय मूल अभिलेख के साथ आदेश की प्रति को संबंधित न्यायालय में अविलम्ब भेजें।

लेखापित
ह0/–निहारिका,
जिला अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
जहानाबाद
दिनांक–12.05.2026

Web Copy, Civil Court